

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

पटना, दिनांक- 23/01/17

विषय:-विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA NMCG के अधीन) पटना बेउर जोन में Sewerage Network के निर्माण हेतु राज्यांश की राशि 7098.00 लाख (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 273 दिनांक- 23-01-17 के आलोक में विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA NMCG

के अधीन) पटना शहर के बेउर जोन में Sewerage Network के निर्माण हेतु कुल 394.8928 करोड़ रुपये की लागत व्यय पर राज्य मंत्रिपरिषद से योजना की प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त है। उसमें से कुल 236.85284 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। विभागीय संकल्प सं0-203 दिनांक-24.01.17 के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश की राशि 7098.00 लाख (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत कुल राशि 7098.00 लाख (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू0 मात्र) की अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-5193 दिनांक-28.06.16, पत्रांक-811 दिनांक-12.08.16, एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से वित्तीय वर्ष 2016-17 में एकमुश्त की जाएगी राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा BGCMS के Mother Child Account में स्थानांतरित किया जायेगा।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह एक नई योजना है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 बि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में महालेखाकार के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।



5. स्वीकृत राशि 7098.00 लाख रू० का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BGCMS (Bihar State Ganga River Conservation Programme Management Society) द्वारा वित्त विभाग के निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
6. रू० 7098.00 लाख (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू० मात्र) मांग सं०-48 मुख्य शीर्ष - 2215 -जल पूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-106-वायु तथा जल प्रदुषण का निवारण उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड -P2215021060302 विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण PFMS Code-9152 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 7100.00 लाख रू० से विकलनिय होगी।
7. राशि का व्यय पटना बेउर सिवरेज नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
8. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार,पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
9. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का अधिकार होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Handwritten Signature)
23.3.17

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/NGRBA-12/12 274

/न०वि०एवंआ०वि०/ पटना, दिनांक-23-3-17

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)
23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/NGRBA-12/12 274

/न०वि०एवंआ०वि०/ पटना, दिनांक-23-3-17

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Handwritten Signature)
23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

(Handwritten Mark)
2

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 23-3-17

विषय:-विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA NMCG के अधीन) पटना बेउर जोन में Sewerage Network के निर्माण हेतु अनुपातिक राज्यांश की राशि 7098.00 लाख रू0 (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति।

आदेश :-स्वीकृत ।

विश्व बैंक सम्पोषित (NGRBA NMCG के अधीन) पटना शहर के बेउर जोन में Sewerage Network के निर्माण हेतु कुल 394.8928 करोड़ रुपये की लागत व्यय पर राज्य मंत्रिपरिषद से योजना की प्रशासनिक स्वीकृत प्राप्त है। उसमें से कुल 236.85284 करोड़ रुपये राज्यांश के रूप में व्यय किया जाना है। विभागीय संकल्प सं0-203 दिनांक-24.01.17 के आलोक में योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश की राशि 7098.00 लाख रू0 (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू0 मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में सहायक अनुदान के रूप में निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत कुल राशि 7098.00 लाख (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू0 मात्र) की अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.98, पत्रांक-423 दिनांक-31.03.16, पत्रांक-5193 दिनांक-28.06.16, पत्रांक-811 दिनांक-12.08.16, एवं पत्रांक-357 दिनांक-10.03.17 में निहित अनुदेशों के आलोक में सचिवालय कोषागार, विकास भवन, बिहार, पटना से वित्तीय वर्ष 2016-17 में एकमुश्त की जाएगी राशि की निकासी कर राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना को उपलब्ध करा दी जायेगी। योजना के कार्यान्वयन हेतु राशि बिहार शहरी विकास अभिकरण (बुडा), पटना द्वारा BGCMS के Mother Child Account में स्थानांतरित किया जायेगा।

3. राशि की निकासी किसी भी स्थिति में ए0सी0 विपत्र पर नहीं किया जायेगा। चूंकि यह राशि अनुदान है इसलिए राशि की निकासी (BTC) के नियम 270 TC फॉर्म 42 पर किया जायेगा। राशि की निकासी करते समय विपत्र पर विपत्र कोड अनिवार्य रूप से अंकित किया जायेगा। यह एक नई योजना है, इसलिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर सभी संबंधित को उपलब्ध कराया जाएगा।

4. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-7355 बि (2) दिनांक-05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में

5. स्वीकृत राशि 7098.00 लाख रू0 का उपयोगिता प्रमाण-पत्र BGCMS (Bihar State Ganga River Conservation Programme Management Society) द्वारा वित्त विभाग के निर्धारित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना एवं सरकार को अवश्य भेजा जायेगा।
6. रू0 7098.00 लाख (सत्तर करोड़ अठानवे लाख रू0 मात्र) मांग सं0-48 मुख्य शीर्ष - 2215 -जल पूर्ति तथा सफाई - उप मुख्य शीर्ष-02-मल-जल तथा सफाई-लघु शीर्ष-106-वायु तथा जल प्रदुषण का निवारण उप शीर्ष-0302-राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम (N.R.C.P) विपत्र कोड-P2215021060302 विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों का निर्माण PFMS Code-9152 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंधित राशि 7100.00 लाख रू0 से विकलनिय होगी।
7. राशि का व्यय पटना बेउर सिवरेज नेटवर्क योजना के कार्यान्वयन पर किया जायेगा।
8. भारतीय अंकेक्षण एवं लेखा विभाग को पुस्तकों एवं रजिस्ट्रों को देखने एवं जांच पड़ताल करने का अधिकार होगा।
9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ17... /टि0 पर दिनांक- 21.3.2017 को प्राप्त है।
10. प्रस्ताव पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका के पृष्ठ.....17...../टि0 पर दिनांक- 21.3.2017 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(Signature) 23.3.17

सरकार के विशेष सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/NGRBA-12/12 273

/न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक- 23/3/17

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature) 23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-03/NGRBA-12/12 273

/न0वि0एवंआ0वि0/ पटना, दिनांक- 23/3/17

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/उप निदेशक, बुडा/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/बिहार, पटना/लेखापाल, नगर विकास एवं आवास विभाग (दो प्रतियों में)/प्रशाखा-2(बजट), नगर विकास एवं आवास विभाग/राचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(Signature) 23.3.17

सरकार के विशेष सचिव।